I/108350/2023

संख्या– 211 /XX–4/2023–07(02)2023– E- **51227**

प्रेषक

रिधिम अग्रवाल
विशेष सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–04 देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2023

**विषयः– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में वर्ष 2019–20 में समूह 'घ' के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा में अनियमितता की जांच कराये जानेके सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–979/UHC/Group–D Recruitment, दिनांक 02.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समूह 'घ' के पदों पर उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2019–20 में आयोजित भर्ती परीक्षा की जांच, अन्य भर्ती परीक्षाओं की जांच हेतु गठित एस0आई0टी0 के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं ए0ई0/जे0ई0 भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के पर्यवेक्षण में गठित एस0आई0टी0 द्वारा सम्पादित की जा रही है।

3– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समूह 'घ' के पदों पर वर्ष 2019–20 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितता की जांच भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के पर्यवेक्षण में गठित एस0आई0टी0 से कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

**Signed by Ridhim Aggarwal**
**Date: 22-03-2023 11:18:48**

भवदीया,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव



Generated from eOffice by VINITA SHIVRAJ PANWAR, SO-Home Section 4-VSP, SECTION OFFICER, Home Department on 22/03/2023 02:26 PM

संख्या– ✓ /XX–4/2023–07(02)2023– E-51227, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1– महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र संख्या–979/UHC/Group–D Recruitment, दिनांक 02.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड को उपरोक्त गठित एस0आई0टी0 में सदस्य नामित करते हुये, प्रकरण की जांच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार का सहयोग किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
अनु सचिव